संख्या– 103/41–2011–75/98

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास नि0लि0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ दिनांक 04 फरवरी, 2011**

विषय– सार्वजनिक उपक्रम/निगमों में दिनांक–29.06.91 तक नियुक्त/कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं0–3449/कार्मिक–3/2010 दिनांक–04.12.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–2063/10–54 (एम) 2008 टी0सी0, दिनांक–08 सितम्बर, 2010 में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों आदि में दिनांक–29 जून, 1991 तक नियुक्त/ कार्यरत वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को यथा अपेक्षित अधिसंख्य पद सृजित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से विनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है। विनियमितीकरण के फलस्वरूप आने वाला वित्तीय व्यय भार सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सहायता देय नही होगी। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारियों के विनियमितीकरण के आदेश अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें।

2– उक्त प्रकरण में आपके प्रस्तावानुसार उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम के लिए संलग्न परिशिष्टि में उल्लिखित विभिन्न श्रेणी के कुल 82 (बयासी) अधिसंख्य पद उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से अथवा विनियमितीकरण की तिथि से जो भी बाद में हो, दिनांक–28.02.2011 तक के लिए यदि इससे पूर्व ही यह पद बिना सूचना के समाप्त न कर दिये जाये निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रश्नगत पद सृजन पर सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के शासनादेश सं0–1184/44–2–14/च0स0/1987 दिनांक–30.11.1987 बाधित न हो।

(2) प्रश्नगत पद सृजन पर विनिवेशित प्रक्रिया के अन्तर्गत अपनायी गयी नीति के क्रम में कोई बाधा उत्पन्न नही होगी।

(3) उक्त सृजित अधिसंख्य पदों पर होने वाला समस्त व्ययभार पर्यटन निगम स्वयं अपने संसाधनों से वहन करेगा और राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सहायता देय नही होगी। इसके लिए राज्य सरकार से किसी भी प्रकार धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(4) उक्त पदधारकों को नियमानुसार समय–समय पर शासन द्वारा अनुमन्य मंहगाई भ. अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हों देय होगें।

(5) उक्त अधिसंख्य पद के धारकों द्वारा किसी अन्य विभाग में जाने, मृत्यु होने या किसी अ. कारण से पद रिक्त होने या नियमित पदों पर समायोजन के पश्चात उक्त अधिसंख्य प स्वतः समाप्त होते जायेगें। अधिसंख्य पदों पर नयी नियुक्ति किसी भी दशा में नही क जायेगी।

(6) भविष्य में निगम के लिये चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन नही किया जायेगा।

(7) यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या–ई–7–129/दस–11 दिनांक– 03 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

संख्या–103 (1)/41–2011 तददिनांक::

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–7
3. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2
4. सार्वजनिक उद्यम, अनुभाग–2
5. वेब अधिकारी श्री राजाराम को उक्त शासनादेश वेब साइट पर डाले जाने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

शासनादेश सं0—103/41—2011—75/98 दिनांक— फरवरी, 2011 का संलग्नक/परिशिष्ट

उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 लखनऊ

दिनांक—29.06.91 एवं उससे पूर्व नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कार्मिकों की संख्या वर्गवार/पदवार	पदों की संख्या	विनियमतीकरण के पद का वेतनमान
1.	2.	3.
फ्रन्ट आफिस असिस्टेन्ट	05	4500—125—7000
फूड एण्ड ब्रेवरेज असिस्टेन्ट	02	4500—125—7000
जूनियर स्टोरकीपर	03	3285—85—5070
कनिष्ठ लेखाकार	02	3285—85—5070
कनिष्ठ सहायक	09	3285—85—5070
गाइड	01	3285—85—5070
इलेक्ट्रीशियन	03	2610—60—3150—65—3735
कामिस—III	07	2550—55—2660—60—3200
वेटर	20	2550—55—2660—60—3200
हेल्पर	01	2550—55—2660—60—3200
चपरासी	01	2550—55—2660—60—3200
चौकीदार	12	2550—55—2660—60—3200
माली	07	2550—55—2660—60—3200
स्वीपर	07	2550—55—2660—60—3200
बोटमैन	01	2610—60—3150—65—3735
बार अटैण्डेण्ट	01	2550—55—2660—60—3200
योग	82	

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव